

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 500] No. 500] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

का.आ. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची 7 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/15/2013-सी. एल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

S.O. 582(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section 3 of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2014 as the date on which the provision of section 135 and Schedule VII of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/15/2013-CL-V] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.